संख्या-863/2018/1052/22-2-2018-17(66)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2018***

विषयः- जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी लखेसरी देवी पत्नी श्री प्रभाकर चौबे, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5/दया0(बैठक 15.05.2018) दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी लखेसरी देवी पत्नी श्री प्रभाकर चौबे, निवासी-ग्राम-तिवारी के छपरा, थाना-दुबहड़, जनपद-बलिया का रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा सास से झगड़ा खाना खाने को लेकर दिनांक 25.01.2014 को मिट्टी का तेल डाल कर आग लगाकर बहू की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-198/2014 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-1, बलिया के आदेश दिनांक 05.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2017 तक 03 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की काटी गयी सजा**,** कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी लखेसरी देवी पत्नी श्री प्रभाकर चौबे, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-863/2018/1052(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in